tamil rights group

7 Eastvale Drive, Suite 207
Markham, Ontario L3S 4N8, Canada
info@tamilrightsgroup.org | + 1 (647) 833-2674

1 मार्च 2022

महामहिम श्री नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री कार्यालय
152 साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल
नई दिल्ली 110011

महामहिम,

**ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न के गंभीर मुद्दों पर कार्रवाई एवं तत्काल समाधान हेतु संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय हस्तक्षेप की अपील**

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब ईलम तमिलों को सैन्य संघर्ष के अंत को चिह्नित करने वाले तमिल जीवन के सामूहिक विनाश के तेरह साल बाद भी एक न्यायसंगत समाधान की प्रतीक्षा करते हुए गंभीर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका सरकार (जीओएसएल) द्वारा श्रीलंका में ईलम तमिलों की वैध आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करने के लिए तुरंत सार्थक कदम उठाए जाएं, यह अनिवार्य है कि भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव और नेतृत्व का उपयोग करे। ऐसा संकल्प मौलिक सिद्धांतों पर सहमत होने की वास्तविक प्रतिबद्धता पर आधारित होना चाहिए और श्रीलंका में ईलम तमिलों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि की गारंटी देते हुए सत्ता साझा करने के लिए एक प्रभावी ढांचे द्वारा समर्थित होना चाहिए। महामहिम, हम आपको इस दृढ़ विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि भारत की प्रसिद्ध लोकतांत्रिक और मानवीय परंपराएं इस उद्देश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि ईलम तमिलों की तत्कालिक और दीर्घकालिक पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए सीधे और तत्काल कार्रवाई करें। हमारा मानना है कि भारत अन्य समान विचारधारा वाले देशों, संयुक्त राष्ट्र निकायों और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न का समाधान निकालने के मार्ग का नेतृत्व कर सकता है।

## तमिल राइट्स ग्रुप

तमिल राइट्स ग्रुप (TRG) एक गैर-लाभकारी मानवाधिकार संगठन है जिसका मुख्यालय मार्खम, कनाडा में है, जो संक्रमणकालीन न्याय और श्रीलंका में हमारे लोगों के लिए एक स्थायी समाधान लाने के प्रयास में ईलम तमिलों का समर्थन और प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है। हम अपनी मातृभूमि में नागरिक समाज के साथ काम करने के अलावा न्याय लाने और सार्थक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सिद्धांतों के तहत उपलब्ध कानूनी रास्ते के साथ वैश्विक कूटनीति के माध्यम से एक न्यायसंगत समाधान का निरंतर प्रयास करते हैं जो ईलम तमिलों को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है जो श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में अपनी पारंपरिक मातृभूमि में शांति, सुरक्षा और सम्मान के साथ रहते हैं।

हमारे कुछ कार्यों को प्रकाशित करने हेतु हम यह सूचित करते हैं कि हमने , नवंबर 2021 में, *रोम संविधि* अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में अभियोजक के कार्यालय को एक प्रमुख संचार प्रस्तुत किया, जिसमें आईसीसी पक्ष के राज्यों के क्षेत्रों के भीतर ईलम तमिलों के निर्वासन और उत्पीड़न जैसे मानवता के खिलाफ अपराधों की प्रारंभिक जांच का अनुरोध किया गया था (कृपया हमारी वेबसाइट में उपलब्ध विवरण देखें - (https://www.tamilrightsgroup.org/icc-campaign/)।

## ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न के समाधान के लिए प्रस्ताव

1948 में जब से श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, तब से तमिल अपनी जायज शिकायतों को व्यक्त करने और आत्मनिर्णय के हमारे अधिकार का प्रयोग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम तमिलों को समृद्ध होने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने

tamil rights group

7 Eastvale Drive, Suite 207
Markham, Ontario L3S 4N8, Canada
info@tamilrightsgroup.org | + 1 (647) 833-2674

की अनुमति देते हुए शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ठोस उद्देश्यों के साथ लागू किए गए राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते हैं।लगातार श्रीलंकाई सरकारों के असफल वादों के बावजूद, इस तरह के सुधारों की सर्वोपरि आवश्यकता को भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लंबे समय से मान्यता दी है।

भारत के उत्तम कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तावित जुलाई 1987 में हस्ताक्षरित भारत-लंका समझौता एकमात्र साधन है जिसने एक न्यायपूर्ण संकल्प लाने का गंभीर प्रयास किया।

हालाँकि, इस समझौते द्वारा प्रस्तुत अवसर को बाद में 13वें संशोधन के त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से जीओएसएल द्वारा समझौता किया गया था, जिसमें अब तक तमिलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने के लिए डिज़ाइन की गईं राजनीतिक पैंतरेबाज़ी शामिल हैं।

ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ने के लिए, हमारा दृढ़ विश्वास है कि निम्नलिखित अंतर्निहित शर्तों को पहले पूरा किया जाना चाहिए:

- तमिलों की पीड़ा को कम करने और विश्वास का माहौल बनाने के लिए, सूचीबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु जीओएसएल को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए (कृपया "गंभीर मुद्दे जिनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए" शीर्षक वाला अनुभाग देखें)।
- संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित और सुगम प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता के बंटवारे को पूरा करने के लिए वास्तविक संवैधानिक सुधार करना, और
- समझौतों को लागू करने में सहायता के लिए नामित संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा समर्थित एक सहमत समय सारिणी के अनुसार उचित समाधान के लिए किए गए समझौतों को लागू करें।

प्रगति करने और जातीय संघर्ष को हल करने का प्रारंभिक बिंदु 1987 में सहमत भारत-लंका समझौते से लिया जाना चाहिए। समाधान की दिशा इस समझौते की मंशा और भावना पर आधारित होना चाहिए और किसी भी प्रस्तावित प्रस्ताव को ईलम तमिल लोगों द्वारा समर्थित निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को पूरा करना चाहिए:

- एक सत्ता साझा करने की व्यवस्था पर काम किया जाना चाहिए जो ईलम तमिलों के लिए आत्मनिर्णय को सक्षम करेगा और उन्हें अपने स्वयं के भविष्य से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तर और पूर्व में ऐतिहासिक निवास के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित अपनी पारंपरिक मातृभूमि में शांति और सुरक्षा के साथ रहने की अनुमति देगा।
- देश के उत्तर और पूर्व के निवास के ऐतिहासिक क्षेत्रों को एक एकल प्रांत या सन्निहित क्षेत्र बनाने के लिए विलय (संयुक्त) किया जाना चाहिए जो ईलम तमिलों के लिए सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में घटक इकाई को परिभाषित करता है।
- इस प्रकार गठित उत्तर और पूर्वी प्रांत या निकटवर्ती क्षेत्र की सरकार (शासन संरचना की एक घटक इकाई) के पास श्रीलंका में केंद्र सरकार के साथ सहमत संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधान, भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, पुलिस, कृषि, उद्योग, समान राजस्व बंटवारे के साथ कर, वाणिज्य और आर्थिक विकास पर नीति निर्धारित करने और नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए।
- तमिल को सिंहल के साथ एक आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, साथ ही अंग्रेजी, संचार की सुविधा के लिए संपर्क भाषा है।
- सभी समुदायों की रक्षा के लिए एक उपयुक्त संविधान को डिजाइन और विकसित करने के लिए वास्तविक संवैधानिक सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से सद्भाव में सह-अस्तित्व की अनुमति देना चाहिए और शासन संरचना में घटक इकाइयों का गठन करने वाले प्रांतों या निकटवर्ती क्षेत्रों को आवंटित शक्तियों का मजबूत सीमांकन करना चाहिए।

7 Eastvale Drive, Suite 207
Markham, Ontario L3S 4N8, Canada
info@tamilrightsgroup.org | + 1 (647) 833-2674

- संविधान और न्यायालय प्रणालियां अधिकार क्षेत्र पर संभावित विवादों पर शक्तियों के परिसीमन और न्यायनिर्णयन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेंगी।
- संवैधानिक ढांचे को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सम्मेलनों के अनुसार सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए मजबूत प्रावधान होने चाहिए। इसमें सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना शामिल होना चाहिए।
- ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न और श्रीलंका में सद्भाव के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए संवैधानिक सुधार द्वारा एक उपयुक्त संविधान प्रदान करना चाहिए जिसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ डिजाइन और विकसित किया गया हो
- स्थापित की जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों को श्रीलंका जैसे बहुराष्ट्रीय देश में ईलम तमिलों के लिए एक उचित समाधान प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ डिजाइन और विकसित संघवाद के मॉडल का पालन करना चाहिए।
- एक अंतरिम उपाय के रूप में, प्रांतीय चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किए जाने चाहिए ताकि ऊपर दिए गए उचित प्रस्ताव पर विश्वास और विश्वास पैदा करने के लिए एक ठोस मंच प्रदान किया जा सके।

## महत्वपूर्ण मुद्दे जिनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए

तमिलों द्वारा बहुत लंबे समय से अनुभव की जा रही गंभीर पीड़ा और निरंतर मानवाधिकारों के हनन को कम करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। न केवल जीओएसएल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न का न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने और श्रीलंका में सद्भाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की उसकी इच्छा पर भरोसा और विश्वास पैदा करने करने के लिए, सफल होने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के किसी भी गंभीर और वास्तविक प्रयास के लिए आवश्यक परिवर्तन:

1. उत्तर और पूर्व का विसैन्यीकरण।
2. जमीन हड़पना और जब्ती बंद हो।
3. आतंकवाद रोकथाम (अस्थायी प्रावधान) अधिनियम (पीटीए) को निरस्त किया जाए।
4. राजनीतिक बंदियों और जबरन गायब होने के बारे में विवरण जारी किया जाए।
5. अभद्र भाषा और भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर समुदायों को निशाना बनाना समाप्त किया जाए।
6. तमिलों के लिए आपातकालीन राहत और विकास निधि।

***(नोटः उपरोक्त मुद्दे अनुबंध में विस्तृत हैं)***

## संक्रमणकालीन न्याय (ट्रांजिशनल जस्टिस)

एक स्थायी एवं चिरस्थायी समाधान की ओर बढ़ने में यह महत्वपूर्ण है कि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया को भुलाया नहीं जाए और वास्तव में सच्चाई और जवाबदेही स्थापित करने के लिए इसका अनुसरण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो हुआ वह फिर कभी न हो।

श्रीलंका में दण्ड से मुक्ति व्यापक रूप से फैली हुई है और यह सर्वविदित है कि जीओएसएल विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को दी गईं कई प्रतिबद्धताओं से मुकर गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा 2021 में प्रकाशित अंतिम प्रमुख रिपोर्ट श्रीलंकाई शासन के लिए एक धिक्कारपूर्ण अभियोग है और नागरिक कार्यों के सैन्यीकरण को बढ़ावा देने वाले एक तेजी से सत्तावादी राष्ट्रपति के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन को जारी रखने के गंभीर जोखिमों की चेतावनी देता है। चूंकि श्रीलंका स्पष्ट रूप से ईलम तमिल आबादी की रक्षा करने में विफल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का

7 Eastvale Drive, Suite 207
Markham, Ontario L3S 4N8, Canada
info@tamilrightsgroup.org | + 1 (647) 833-2674

यह दायित्व है कि वह सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P) सिद्धांतों के तहत सामूहिक कार्रवाई करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अत्याचार अपराधों को रोका जा सके और अपराधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार न्याय के दायरे में लाया जा सके।

हम श्रीलंका में अपराधियों के खिलाफ कानूनी तरीकों और लक्षित प्रतिबंधों के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने सहित, जीओएसएल पर दबाव बनाए रखने में भारत की मदद चाहते हैं। ये उपाय जीओएसएल को स्पष्ट रूप से संकेत देंगे कि श्रीलंका में लगातार हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता और संकल्प है।

## समापन टिप्पणी

ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न का न्यायोचित समाधान खोजने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जीओएसएल को उनकी वैध शिकायतों को पहचानने की आवश्यकता है जो इस संघर्ष के मूल कारण से उत्पन्न होती हैं, जिसमें राजनीतिक हाशिए पर, निर्दोष जीवन का विनाश, संपत्ति का प्रचंड विनाश, स्वतंत्रता के बाद से 70 से अधिक वर्षों के लिए अत्याचार अपराधों द्वारा निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों और शारीरिक असुरक्षा का दमन, राष्ट्रपति द्वारा नागरिक कार्यों का सैन्यीकरण करने वाले सत्तावादी शासन और श्रीलंका द्वारा सामना की जाने वाली निराशाजनक वित्तीय स्थिति के कारण, इस न्यायपूर्ण समाधान को खोजने की आवश्यकता तेजी से जरूरी होती जा रही है, जो देश को चीन के हाथों में धकेल रही है। यह न केवल श्रीलंका में सभी के भविष्य की भलाई के लिए एक विनाशकारी परिदृश्य पैदा कर रहा है, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा भी पैदा कर रहा है।

इस खतरनाक स्थिति को दूर करने के लिए, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ईलम तमिलों, श्रीलंका और पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए आवश्यक परिणामों को प्रभावित करने के लिए जीओएसएल पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। श्रीलंका में ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न के व्यापक और स्थायी समाधान को लागू करने की दिशा में वास्तविक प्रगति करते हुए वित्तीय सहायता और निवेश पर विचार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि श्रीलंका में व्याप्त दण्ड मुक्ति को कम किया जा सके, जबकि इस तरह की कार्रवाइयों को इस संघर्ष में फंसे निर्दोष लोगों को प्रभावित न करने देने के बारे में सावधान रहना चाहिए।

tamil rights group

7 Eastvale Drive, Suite 207
Markham, Ontario L3S 4N8, Canada
info@tamilrightsgroup.org | + 1 (647) 833-2674

महामहिम, हम एक बार फिर श्रीलंका में ईलम तमिलों को बचाने के लिए सार्थक कदमों की सख्त आवश्यकता को दोहराते हैं और आपसे अपील करते हैं कि भारत-लंका समझौता और इस पत्र में प्रस्तावित मूलभूत सिद्धांत, भारत की मंशा और भावना के अनुसार ईलम तमिल राष्ट्रीय प्रश्न के न्यायसंगत समाधान की प्रगति के लिए भारतीय हस्तक्षेप शुरू करें।

भवदीय,

**नवरत्नम श्रीनारायणथस**
अध्यक्ष, तमिल राइट्स ग्रुप

सी.सी. माननीय डॉ. एस. जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री
महामहिम अजय बिसारिया, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त
राजदूत टीएस तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र (न्यूयॉर्क)
में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत इंद्र मणि पांडे, भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र (जिनेवा)

tamil rights group

7 Eastvale Drive, Suite 207
Markham, Ontario L3S 4N8, Canada
info@tamilrightsgroup.org | + 1 (647) 833-2674

**अनुलग्नक**

### 1. उत्तर और पूर्व का विसैन्यीकरण

बारह साल से भी अधिक समय पहले सशस्त्र संघर्ष समाप्त होने के बावजूद, श्रीलंका के उत्तर और पूर्व के तमिल क्षेत्रों में सेना की बहुत भारी उपस्थिति है, वे वहाँ नागरिक जीवन में घुसपैठ कर रहे हैं तथा वहाँ लोगों को उत्पीड़न, धमकी और भूमि हथियाने जैसी अन्य गतिविधियों के अधीन किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सम्मेलनों का उल्लंघन है। श्रीलंकाई सेना के पास सक्रिय सैन्य कर्मियों की अत्यधिक उच्च क्षमता है, जो दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक है। उत्तर और पूर्व में सैन्य कर्मियों की एकाग्रता असाधारण रूप से अधिक है, विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कभी-कभी सैन्य कर्मियों का नागरिकों का अनुपात 2: 1 या कई क्षेत्रों में इससे भी बदतर रहा है, जिसने इस उपस्थिति को एक सैन्य व्यवसाय बना दिया गया है।

### 2. जमीन हड़पना और जब्ती बंद करो

सैन्य संघर्ष के बाद भी खतरनाक दर से जमीन हथियाने और जब्ती जैसी कार्यवाही हो रही है। जीओएसएल द्वारा स्वीकृत सेना भूमि हथियाने का एक प्रमुख कारण रही है, सशस्त्र संघर्ष से पहले, उसके दौरान और बाद में हजारों एकड़ भूमि हथियायी गयी, जिसमें से बहुत कुछ कभी वापस नहीं की गई। इस तरह भूमि हथिया कर, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सम्मेलनों का उल्लंघन कर बिना किसी वैध औचित्य के विस्थापित व्यक्तियों की उनके मूल घरों पर स्वैच्छिक वापसी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों/विभागों, बौद्ध पादरियों और सिंहली राजनेताओं द्वारा अक्सर किए जाने वाले पुरातात्विक उत्खनन और वन संरक्षण जैसी गतिविधियों की आड़ में भूमि हथियाने का काम भी होता रहा है। मानव अधिकार सम्मेलनों के उल्लंघन में भूमि हड़पना और जब्त करना, श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में तमिलों के लिए पारंपरिक मातृभूमि का उपनिवेश करना और सांस्कृतिक / धार्मिक महत्व के क्षेत्रों को नष्ट करना, क्रमिक सिंहली सरकारों का एक नियोजित और व्यवस्थित अभियान का हिस्सा है।

### 3. आतंकवाद निरोधक अधिनियम निरस्त करें

आतंकवाद की रोकथाम (अस्थायी प्रावधान) अधिनियम (पीटीए) अपने कठोर उपायों के लिए जाना जाता है जो सशस्त्र संघर्ष की समाप्ति के बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन को कायम रखता है। इस अधिनियम के तहत, श्रीलंकाई सुरक्षा बल न्यायिक निरीक्षण के बिना जांच की व्यापक शक्तियों के कारण दण्ड से मुक्ति के साथ काम करते हैं, मुख्य रूप से तमिलों के खिलाफ लागू किए गए गायब होने, यातना, बलात्कार और उत्पीड़न को कवर करने वाले मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में इस अधिनियम का उपयोग किया जाता है। श्रीलंका ने अक्टूबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 30/1 को सह-प्रायोजित करते समय पीटीए को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून दायित्वों के अनुरूप आतंकवाद विरोधी कानून से बदलने का वादा किया था। तब से, एक आतंकवाद विरोधी विधेयक 2018 में पेश किया गया था, जिस पर श्रीलंका में विभिन्न हितधारकों की जोरदार बहस हुई थी। हालाँकि, नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति की जीत के तुरंत बाद, इस बिल को दिसंबर 2019 में वापस ले लिया गया था। वर्तमान प्रस्तावित परिवर्तन कॉस्मेटिक हैं, और पीटीए को निरस्त करने की आवश्यकता है या एक उचित बिल के रूप में पेश किए जाने तक स्थगन मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप कहा जाता है। ।

### 4. राजनीतिक कैदियों को रिहा करें और जबरन गायब होने के बारे में विवरण

आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) का इस्तेमाल तमिलों और मुसलमानों को मनमाने ढंग से अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने के लिए किया गया है। ये कैदी बहुत कमजोर स्थिति में हैं क्योंकि उन्हें पीटीए के तहत रखा गया है जो बिना

7 Eastvale Drive, Suite 207
Markham, Ontario L3S 4N8, Canada
info@tamilrightsgroup.org | + 1 (647) 833-2674

किसी मुकदमे या यहां तक कि दोषसिद्धि के प्रयास के बिना लंबी अवधि के हिरासत की अनुमति देता है। प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठनों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पीटीए के तहत हिरासत में लिए गए कैदियों को अक्सर यातना, नस्लीय दुर्व्यवहार और यौन हिंसा के रूप में दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। यह भी बताया गया है कि भीड़भाड़ वाली जेलों के कारण, बड़ी संख्या में कैदियों ने कोविड -19 से संपर्क किया था और 14 कैदियों की वायरस से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई थी।

सैन्य संघर्ष से पहले, उसके दौरान और बाद में जबरन गायब होना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। श्रीलंका में इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के साथ पंजीकृत या अनैच्छिक गायब होने की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 1980 के दशक से, विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनुमानित 60,000 से 100,000 लोग "गायब" हो गए हैं, जिसमें खतरनाक "सफेद वैन" अपहरण शामिल हैं, जिन्हें सरकार के उच्चतम स्तरों द्वारा स्वीकृत माना जाता है। माना जाता है कि कई पीड़ितों को सरकारी सुरक्षा बलों द्वारा अपहरण, प्रताड़ित और मार डाला गया था। लागू या अनैच्छिक गायब होने वाले लोगों के परिवारों को इन गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए न्याय से वंचित कर दिया गया है, यदि साबित हो जाता है, तो मानवता के खिलाफ अपराध होगा।

### 5. अभद्र भाषा और भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर समुदायों को लक्षित करना समाप्त करें

तमिल समुदाय को दशकों से सिंहल-बौद्ध राष्ट्रवादी के हाथों भेदभाव, नस्लीय अपमान, उत्पीड़न और क्रूर हिंसा का सामना करना पड़ा है, जो कि श्रीलंका के राजनीतिक नेताओं और राज्य मशीनरी द्वारा सहायता प्राप्त और उकसाया गया है। 2013 के बाद से, मुस्लिम समुदाय को भी मुस्लिम विरोधी भावना के विकास द्वारा लक्षित किया गया है, जिसका परिणाम मुस्लिम समुदाय को भी उसी हिंसक उपचार से भुगतना पड़ रहा है। यह सरकारी बयानबाजी और नीतियों से भी प्रेरित हुआ है, कभी-कभी खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयानों और प्रस्तावों के लिए "एक देश एक कानून" जिसके लिए उन्होंने सबसे खराब उग्रवादी बौद्ध भिक्षुओं में से एक गैलागोडा अथे ज्ञानसारा को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, ने श्रीलंका और विदेशों में कई लोगों को चौंका दिया है।

### 6. तमिलों के लिए आपातकालीन राहत और विकास निधि

दशकों से चले आ रहे सैन्य संघर्ष ने उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, ये क्षेत्र शेष श्रीलंका से बहुत पीछे हैं। उद्योगों और बुनियादी ढांचे का विनाश भारी रहा है, जबकि कृषि, खेती और मत्स्य पालन, जिन पर कई आम लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका के गृहयुद्ध के लगभग एक दशक बाद, उत्तरी और पूर्वी प्रांत महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उपायों में महत्वपूर्ण रूप से पीछे हैं। तमिल युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी ने भारी तबाही मचाई है और मानसिक पीड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह बदले में, बुजुर्ग आबादी और पूरे समुदाय को प्रभावित कर रहा है, जहां कई लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति आपातकालीन राहत और विकास निधि को उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में तत्काल डालने की मांग करती है।